झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/55/16– 99 ,राँची/दिनांकः 07/09/2017

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2017 (Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination-2017) के परीक्षाफल के आधार पर तृतीय साक्षात्कार (Third Round of Counselling) से संबंधित विस्तृत सूचना

पर्षद द्वारा दिनांक 16.05.2017 को आयोजित झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2017 के परीक्षाफल के आधार पर कृषि, वानिकी, पशुपालन विज्ञान एवं पशु–चिकित्सा, होमियोपैथिक, दुग्ध–प्रौधोगिकी एवं मत्स्यिकी के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अनुशंसा भेजने के निमित्त प्रथम् एवं द्वितीय साक्षात्कार आयोजित की गई थी। अनुशंसित अभ्यर्थियों के नामांकनोपरांत संस्थानों में रिक्त रह गये सीटों पर अनुशंसा भेजने के लिये दिनांक 14.09.2017 को तृतीय साक्षात्कार लिया जाना निर्धारित है। साक्षात्कार Computerized Multi Table Counselling के माध्यम से की जाएगी। संस्थान–वार/पाठ्यक्रम–वार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी, पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर "Live (Current) seat Matrix of J.C.E.C.E.-2017" Link पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो या तो प्रथम् या द्वितीय साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित हैं या नामांकन हेतु अनुशंसा के उपरांत संस्थानों में नामांकन नहीं करा सके हैं या प्रथम् या द्वितीय साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सके हैं या फिर उपस्थित होकर सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का चयन नहीं किये हैं।

2. पर्षद द्वारा प्रथम् साक्षात्कार के दौरान राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, परसपानी, गोड्डा के बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2017–18 में नामांकन हेतु 48 अभ्यर्थियों को अनुशंसित किया गया था। किन्तु संबंधित प्राचार्य द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिये आयुष (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी) मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता नहीं मिलने के कारण उनके अनुरोध पर अनुशंसा को स्थगित रखा गया था। द्वितीय साक्षात्कार के दौरान कुछ अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा उक्त संस्थान को छोड़कर दूसरे संस्थानों में पुनर्आवंटन करा लिया गया है।

महाविद्यालय के पत्रांक G-178 दिनांक 07.09.2017 के द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिये अनुमति दिये जाने की सूचना पर्षद को उपलब्ध कराये जाने के आलोक में **उक्त संस्थान में प्रथम् साक्षात्कार में अनुशंसित शेष बचे अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस साक्षात्कार में निश्चित रूप से उपस्थित होकर सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान को पुनः आवंटित करवा लें। वैसे अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार शुल्क में छूट अनुमान्य होगा।**

3. प्रथम् या द्वितीय साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा अपने पूर्ववत् सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान के पुनर्आवंटन हेतु नामांकन शुल्क (Admission fee) के रसीद की मूल प्रति **या** संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत वास्तविक प्रमाण पत्र (Bonafide certificate) जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि संस्थान के स्तर पर कौन–कौन से मूल प्रमाण–पत्र रखे गये हैं। संस्थान में जमा किये गये

प्रमाण–पत्रों की छाया–प्रति जो संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित हो, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का आवंटन नहीं किया जायेगा। वैसे नामांकित अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें जाति प्रमाण–पत्र की संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित छाया–प्रति प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

4. उपरोक्त कंडिका–3 के अतिरेक अन्य सभी अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रति (Original copy) तथा उसकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही इस आधार पर सीट/पाठ्यकम/संस्थान का आबंटन किया जाएगा।

(क) दसवीं/माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र, **(ख)** इण्टरमीडिएट साईस/10+2/ समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र

(ग) झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2017 का प्रवेश–पत्र (Admit Card) {यदि प्रवेश–पत्र (Admit Card) गुम हो गया है तो सनहा/प्रथम् सूचना प्रतिवेदन (F.I.R.) की प्रति}, **(घ)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 – 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0–14/स्थानीयता नीति–04–03/2016 का0–4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, **(ड़)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का॰–10007 दिनांक 29. 08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। **(च)** दिव्यांग अभ्यर्थियों को जिला अस्पताल के आर्थो–पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला के असैनिक शैल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र तथा पूरे शरीर का एक पूर्ण आकार का फोटोग्राफ तथा **(छ)** पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की एक प्रति।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने हेतु) सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है या वे अपने प्रमाण–पत्र नहीं बनवा सके हैं, लेकिन प्रमाण–पत्रों को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो **उन्हें भी सीट/पाठ्यकम/संस्थान का औपबंधिक आवंटन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, राँची के पत्रांक 291/स0/को0 दिनांक 17.08.2017 के आलोक में किया जायेगा।**

5. साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।

6. <u>साक्षात्कार शुल्क</u> :— सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/— तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/— का साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:—

क) साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से जमा किया जा सकता है। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in पर Counselling कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। खाता सं0 एवं अन्य जानकारी चालान में उपलब्ध है।

या

ख) साक्षात्कार शुल्क, पोस्ट ऑफिस चालान (P.O. Challan) के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। चालान (P.O. Challan) की प्रति पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in पर Counselling कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, चालान के माध्यम से भारतीय पोस्ट ऑफिस के किसी भी कम्प्यूटराईज डाकघर में जमा किया जा सकेगा। Receipt की एक प्रति, पोस्ट ऑफिस चालान के निर्दिष्ट कॉलम में चिपकानी होगी।

या

ग) साक्षात्कार शुल्क, भारतीय पोस्टल ऑर्डर (Indian Postal Order) के रूप में भी जमा किया जा सकता है।

नोट (a) :— साक्षात्कार के समय बैंक/पोस्ट ऑफिस चालान (Challan) की पर्षद प्रति (Board's Copy) या भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

7. आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन आदेश में अंकित रहेगा।

8. **<u>साक्षात्कार स्थल</u>** :— झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम—तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

9. <u>दिनांक 14.09.2017 को साक्षात्कार</u>, संयुक्त मेधा सूची (Combined Merit List) के अनुसार कक्षा—वार आयोजित की जा रही है। अतः आरक्षित कोटि यथा SC/ST/BC-I/BC-II के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे संयुक्त मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के दिन/समय अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों के साथ—साथ अपने आरक्षित कोटि के लिए आरक्षित संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों का भी चयन कर सकते हैं। <u>अतः वे संयुक्त मेधाक्रम से आयोजित साक्षात्कार के दौरान ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण—पत्र अवश्य प्रस्तुत करें।</u>

10. यह साक्षात्कार, पूर्व में आयोजित साक्षात्कारों की ही भाँति P.C.M.B. Group की मेधा—सूची के आधार पर किया जायेगा। उक्त P.C.M.B. Group की मेधा—सूची में दोनों ग्रुपों अर्थात् P.C.B. Group तथा P.C.M. Group, के अभ्यर्थी मेधा—क्रमानुसार शामिल हैं। अतः अभ्यर्थी P.C.B. Group या P.C.M. Group में अपने

मेधा–क्रमांक के बदले P.C.M.B. Group के मेधा–क्रमांक के अनुसार साक्षात्कार में उपस्थित होवें। P.C.M.B. Group की मेधा–सूची पर्षद की अधिकृत बेवसाईट के Homepage पर Downloads Column में उपलब्ध है।

11. अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। **किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।**

साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी :–

11.2 As per PH Rank (दिव्यांग मेधाक्रमानुसार) केवल राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गोड्डा के लिए			
Disability Code	PH Rank Range		Counselling Date & Time
	From	To	
1, 2 & 3	All PH Candidates		14.09.2017/10:00 AM

नोट (b) :– दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटों के आवंटन के उपरान्त भी यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो उसे संबंधित कोटि में समायोजित कर संयुक्त मेधा–क्रमानुसार, साक्षात्कार, निम्न कार्यक्रमानुसार संचालित किया जायेगा।

11.3: As per PCMB Group-CML Rank (पी0सी0एम0बी0ग्रुप – संयुक्त मेधाक्रमानुसार)					
CML Rank Range		Counselling Date & Time	CML Rank Range		Counselling Date & Time
From	To		From	To	
1	750	14.09.2017/11:00 AM	751	4,099	14.09.2017 / 01:00 PM

12. साक्षात्कार में PCB Group के अभ्यर्थी द्वारा B.Sc. (Hons.) Agriculture, B.Sc. (Hons.) Forestry, B.V.Sc. & A.H., B.H.M.S. एवं B.F.Sc. (Bachelor of Fisheries Science) तथा PCM Group के अभ्यर्थी द्वारा B.Sc. (Hons.) Agriculture, B.Sc. (Hons.) Forestry तथा B.Tech. (Dairy Technology) पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम का चयन, मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर किया जा सकता है।

13. साक्षात्कार के दौरान अंतिम रूप से चयनित होने के पहले प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियों तथा पहचान की छान–बीन एवं सत्यता की जाँच की जायेगी। जाली प्रमाण–पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कर्रवाई की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षों तक शामिल होने से वंचित कर दिया जायेगा।

14. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की संयुक्त मेधाक्रम संख्या के समय उपलब्ध रिक्त स्थानों में से अभ्यर्थी को व्यवसाय एवं संस्थान का आवंटन, मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर, किया जायेगा। **साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है।**

15. यदि किसी अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित नहीं होती हैं अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जायेगी।

16. साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाक्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान विलम्ब से सभी वांछित प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में

उस दिन/समय पर उपलब्ध संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

17. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट आबंटन की गारंटी नहीं है।

18. **साक्षात्कार के समय महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है।** आवंटित संस्थान में नामांकन के समय महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

19. जिन अभ्यर्थियों का मेधाक्रम इस विज्ञापन की कंडिका 11 में अंकित हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि इस विज्ञप्ति के माध्यम से साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाते है कि वे इस सूचना के आधार पर ही निर्धारित तिथि एवं Counselling Time पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हो अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा तथा उपरोक्त कण्डिका 16 के अनुसार ही संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट चयन का अवसर दिया जायेगा। इसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।

20. अभ्यर्थी द्वारा मेधा–सह–ईच्छानुसार चालू साक्षात्कार के समय संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का आबंटन करा लेने पर पुनः चालू साक्षात्कार में दोबारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

21. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

22. साक्षात्कार से संबंधित किसी वांछित जानकारी हेतु पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in और दूरभाष सं॰ 0651–6999170/6999171 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/–
(सुरेन्द्र कुमार,मा0प्र0से0)
परीक्षा नियंत्रक

ज्ञापांक : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/55/16 – 687 ,राँची/दिनांकः 9/09/2017

प्रतिलिपिः–

परीक्षा शाखा को पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर Counselling कॉलम में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/9/17
परीक्षा नियंत्रक